राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट, 1961

40 वर्ष व इससे अधिक पुराने कब्जों के पट्टे दिये जाने संबंधी

The Rajasthan Government Grant Act, 1961

[Act No. 20 of 1961]

(Received the assent of the President on the 8th day of July, 1961)

An Act to provide for the non-applicability of certain laws to grants or transfers from the central government or the state government and to declare the validity of the provisions, restrictions, conditions and limitations contained in or imposed by such grants or transfers. Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Twelfth Year of the Republic of India as follows:

1- **hort title, extent and commencement:** - (1) this Act may be called the Rajasthan Government Grants Act, 1961. (2) It extends to the whole of the State of Rajasthan. (3) It shall come into force at once.

2- **Transfer of Property Act 1882 not to apply to Government Grants:** - Nothing in the Transfer of Property Act, 1882 (Central Act, 4 of 1882) Contained shall apply or be deemed ever to have applied to any grant or other transfer of land or any interest heretofore made or hereafter to be made by or on behalf of the State Government or the Central Government to, or in favor of, any person whomsoever; but every such grant and transfer shall be construed and take affect as the said Act had not been passed.

3- Certain laws not to apply to grants from Central Government: - Nothing contained in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955) or in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) shall apply or be deemed ever to have applied to any grant or other transfer of land or of any interest therein heretofore made or hereafter to be made by, or on behalf of, the Central Government to, or in favor of any person whomsoever; but every such grant and transfer shall be construed and shall take effect as if neither of the said Acts had been passed.

4- Government grants to take effect according to their tenor:- All provisions restrictions, condition and limitations ever contained in any such grant of transfer as is referred to in section 2 or section 3 shall be valid and shall take effect according to their tenor, any provision contained in any of the Acts mentioned in those sections or any rule of law, statute or enactment or any decree or direction of a court of competent jurisdiction to the contrary notwithstanding.

Repeal:- The Government Grants Act, 1985. of the central legislature in so far as it extends to or stand adopted to the whole or any part of the state of Rajasthan and all other corresponding laws in force in any part of the state are here repealed and serial number 35 of the schedule to the Rajasthan Adaptation of Central Ordinance, 1950 Rajasthan Ordinance 4 of 1950. is hereby omitted.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

No. Jaipur, Dated 15-09-1983

ORDER

No. OE/F-19 (Campaign) DLB/83/5783. : In suppression of this department circular No. D.745/F.10 (22) LSG/A/59 dated 27th April 1959 & memorandum No. F.10 (29) LSG/A/58 dated 26 February] 1962 and all other orders issued in this behalf, the state government have been pleased to sanction allotment of land free of cost and issue of *patta* on a nominal fees of Rs.5.00 under the Rajasthan state government grant Act, 1961 (Rajasthan Act No.20 of 1961) to all such person have been occupying the land for the last 40 years of more on the following conditions:-

1. Such *patta* shall be issued by the municipal authority in case of Nazul (*Abadi*) land and not in case of agricultural land or any other kind of land.
2. The *patta* shall be issued for the area of land, which has been built upon by *Kaccha/Pakka* construction thereon with a maximum area of 300 sq. meters only.
3. In order to determine the period of possession of land for 40 years or more, all or any of the following factors may be taken into consideration:-

i) The name in the voter's list;
ii) Ration Card;
iii) Postal post card/envelop etc. address to the occupier duly stamped;
iv) Old *Patta*/Sale deed issued by the competent authority or authenticated site plan in which name or description of land under possession has been mentioned/shown;
v) Judgment of any court or any competent authority;
vi) Any notice/letter addressed to the occupier;
vii) Any other documentary evidence; and
viii) Oral evidence of at least two night hours of not below the age of 60 years old supported by any affidavit to the satisfaction of the authority.

Explanation: For the purpose of reckoning the period of possession for 40 years more, the period of possession held by the original occupier, his legal heir, successors or transferees may also be taken into account and *patta* shall be issued accordingly.

4. In case of land which is under dispute or for which legal proceeding are pending in any law court or before any authority, no *patta* shall be issued until the case is finally decided.
5. The Patta shall be issued in accordance with the provisions contained in the Rajasthan Municipalities (Disposal of Urban Land) Rules, 1974.
6. In case of any dispute, the decision of the collector in this regards shall be final.

By order of the government.

(J.S. Yadav)

Dy. Secretary to the government.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

No. F.8( ) (Rules)LSG/2000/15662 Jaipur, Dated 24-07-2000

ORDER

In First Para of this department order No.OE/F-19 (Campaign) DLB/83/5783 dated 15-9-83, after the expression "40 years or more" and before the expression "on the following condition" the expression "and 20 years or more in case of scheduled casts and schedule tribe person" shall be inserted.

(C.B. Sharma)
Dy. Secretary of the Govt.

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकः प.8( )नियम / एलएसजी / 2001 / 200–381 दिनांकः 11.01.2002

मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिकाएं।

राज्य सरकार के द्वारा 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान बाबत जारी निर्देशिका के पृष्ठ 7 में बिन्दु संख्या 4, जो राजस्थान स्टेट ग्रांट एक्ट, 1961 के अन्तर्गत राज्य सरकार के आदेश दिनांक 15.9.83 के अन्तर्गत 40 वर्षों से पूर्व के कब्जों का नियमन करने के निर्देश हैं, को निम्न प्रकार पढ़ा / समझा जावे:—

राजस्थान स्टेट गारमेंट ग्रान्ट एक्ट, 1961(वर्ष 1961 का अधिनियम संख्या 20) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांकः ओई / एफ. 19(केम्पन) / डीएलबी / 83 / 5783 दिनांक 15.9.83 के द्वारा 40 वर्ष से पुराने कब्जों को पाँच रूपये नाममात्र के शुल्क पर 300 वर्गमीटर तक पर कच्चे—पक्के निर्माण को नियमन करने का प्रावधान किया गया था। इसमें सामान्य व्यक्तियों के लिये कब्जा 40 वष पुराना होना आवश्यक है, परन्तु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.7.2000 से अनुसूचित जाति / जनजाति के लिये कब्जों की अवधि 40 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की गई है अर्थात् अनुसूचित जाति / जनजाति के 20 वर्ष पुराने कब्जों को भी पाँच रूपये का नाममात्र का शुल्क वसूल करके पट्टा जारी किया जा सकेगा।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकः प 8(ग)नियम / स्वाशा / 01 / 5479 दिनांकः 24.04.2002

आदेश

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट, 1961 (राजस्थान अधिनियम सं. 1961 का 20) के तहत पूर्व में आदेश दिनांक 15.9.83 जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निर्मित कब्जे की अवधि की गणना निम्नानुसार की जायेगी :—

1. यदि कोई आवेदक सामान्य वर्ग से है तो उसका निर्मित कब्जा दिनांक 1 जनवरी, 1960 से पूर्व का होना आवश्यक है। देश के बटवारे के समय पाकिस्तान से विस्थापित परिवार जो पालिका सीमा में मकान बनाकर बसे हुए हैं ये भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे।
2. यदि आवेदक अनुसूचित जाति / जनजाति का है तो उसका निर्मित कब्जा दिनांक 1 जनवरी,

1980 से पूर्व का होना आवश्यक है।

शेष सभी शर्तें पूर्व आदेश क्रमांकः ओई/एफ.19(केम्पन)डीएलबी/83/5783 जयपुर, दिनांकः 15.9.83 की यथावत लागू रहेंगी।

आज्ञा से,
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकः प.8(ग)( )नियम/स्वाशा/2000/445 दिनांकः 20.09.2002

आदेश

राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट,1961 (राजस्थान अधिनियम सं. 1961 का 20) के अन्तर्गत इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक ओई/एफ.19(केम्पन)डीएलबी/83/5783 दिनांक 15.9.83 में राज्य सरकार द्वारा निम्न आंशिक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट, 1961 के अन्तर्गत पट्टा पति व पत्नि दोनों के नाम जारी किये जावेंगे।
2. राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत नियमित भूखण्ड को पट्टाधारी विधि अनुसार हस्तान्तरण यथा–विक्रय, रहन एवं वसीयत आदि करने हेतु स्वतंत्र होना।
3. नगर सुधार न्यास क्षेत्र में राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत संबंधित नगर सुधार न्यास द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया जायेगा।

शेष सभी शर्तें पूर्व आदेश दिनांक 15.9.83, प.8(नियम) एलएसजी/2000/ 15663–16071 दिंनांक 24.7.2000 एवं प.8(ग) नियम/स्वाशा/01/ 5479 दिनांक 24.4.2002 के अनुरूप यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक : प.8(167)(ग)/नियम/स्वा.शा./2006/4859 जयपुर, दिनांकः 29.7.06

आदेश

पूर्व अधिसूचना क्रमांक प.(ड़) भूमि/स्था.नि./अभियान/05/5720–6150 दिनांक 17.5.2005 को विलोपित करते हुए राजस्थान गर्वनमेंट ग्रान्ट एक्ट, 1961 (वर्ष 1961 का अधिनियम संख्या 20) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक ओई/एफ 19 (कम्पेन) डीएलबी/83/5783 दिनांक 15.9.1983 के बिन्दु संख्या 2 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

" Patta shall be issued for the Area of the land which has been built upon by kuccha pucca constriction there on with a maximum area or the 300 Sq. Meters only."

शासन उपसचिव

स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक : प.8(167)(ग)/नियम/स्वा.शा./06/4427 दिनांक: 22.5.07

संशोधन

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.8 (167) (ग) (नियम) स्वा.शा./06/ / 4859 दिनांक 29.7.2006 जो राजस्थान गवर्नमेंट ग्रान्ट एक्ट 1959 के अन्तर्गत जारी होने वाले पट्टे अधिकतम क्षेत्र 300 वर्गमी. करने के उद्देश्य से जारी की गई है, की अंतिम पंक्ति में शब्द "area" के पश्चात् एवं शब्द "the" के पूर्व शब्द "or" के स्थान पर शब्द "of" प्रतिस्थापित किया जाता है।

शासन उपसचिव

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक : प.8(ग)(-167)नियम/डीएलबी/06/6181 दिनांक 22.1.2010

-: आदेश :-

राजस्थान गर्वनमेन्ट ग्रान्ट एक्ट 1961 (वर्ष 1961 का अधिनियम सं. 20) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक ओई/एफ19(Campaign) डीएलबी/87/5783 दिनांक 15.09.83 में आंशिक संशोधन करते हुए 5 रुपे के स्थान पर 1 रुपया किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.8(ग)(167)नियम/डीएलबी/06/4859-5114 दिनांक 29.07.06म आंशिक संशोधन करते हुए बिन्दु सं. 2 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(क) सामान्य व्यक्ति का कब्जे के संदर्भ में 01.01.1965 से पूर्व का कब्जा तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दिनांक 01.01.85 से पूर्व का कब्जा प्रमाणित होने पर 300 वर्गमीटर सीमा तक 1 रुपये वसूल कर पट्टा दिया जावेगा।

शेष सभी शर्ते यथावत रहेंगी। उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग , राज. जयपुर

क्रमांक - प.8(12)(ग)/नियम/(campaign)/स्वा.शा.वि./10/6957 दिनांक 8-2-10

-:: आदेश ::-

राजस्थान गर्वनमेन्ट ग्रान्ट एक्ट, 1961 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक ओई/एफ.12 (कम्पेन) डीएलबी/83/5783 दिनांक 15.09.83 एवं तत्पश्चात् संशोधित आदेश क्रमांक प.8(10)(ग) नियम/स्वा.शा./ 2006/ 4859 दिनांक 29.07.06के बिन्दु संख्या 02 में निम्न प्रावधान रखा गया था:-

Patta shall be issued for the area of the land which has beeb built upon Kaccha construction their on with a maximum area of the 300 sq. meters only.

उपरोक्त प्रावधान के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि पट्टा जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदक के कब्जे में जितना भूखण्ड है, उसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत भाग मौके पर निर्माण होना आवश्यक है। उसी अवस्था में 300 वर्ग मीटर तक का पट्टा दिया जायेगा। ये पट्टा आवासीय होगा, शेष शर्ते यथावत रहेगी।

शासन उप सचिव

अशोक कुमार सिंह Sr. Jt. LR

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक : प.8(ग)(167)नियम/डीएलबी/06/7179 दिनांक 26.2.10

-: आदेश :-

राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 15.09.83 से 40 वर्ष से अधिक कब्जा को नियमन हेतु भूखण्ड का पट्टा एक रुपये में देने हेतु जारी किया गया था। इसे पुन: आदेश दिनांक 22.01.10 संशोधन कर चालीस वर्ष का अभिप्राय सामान्य वर्ग हेतु 1.01.965 से पूर्व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दिनांक 01.01.1985 के कब्जों को आधार माना गया है। कब्जे के प्रमाण के रूप में निम्नांकित तथ्य ग्राह्य माने गये हैं :-

(i) The name in the voter's list.
(ii) Ration Card.
(iii) Postal post Card/envelop etc. addressed to occupier duly stamped.
(iv) Old patta/sale deed issued by the competent authority or authenticated site plan in which name or description of land under possession has been mentioned/shown.
(v) Judgment of any court or any other competent authority.
(vi) Any notice/letter addressed to the occupier;
(vii) Any other documentary evidence; and
(viii) Oral evidence of atleast two neighbours of not below the age of 60 years duly supported by a affidavit to the satisfaction of the authority.

उपरोक्त कब्जों के प्रमाण पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त तथ्यों के क्रम में निम्नांकित तथ्य भी ग्राह्य माने जावेंगे :-

1. नगरपालिका में निर्माण स्वीकृति बाबत पात्रता हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो, जिस पर भवन निर्माण स्वीकृति नगर पालिका द्वारा प्रदान की गई हो।
2. किसी भवन पर तत्कालीन समय में राजस्थान नगर पालिका (भूमि एवं भवन कर) नियम 1961 तत्पश्चात् इसे संशोधन करते हुए गृहकर एवं नगरीय विकास कर के नाम से जाना जाता है। (उपरोक्त नियम, 1961) के अन्तर्गत पात्रता हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व किसी निजी भवन पर अदा किये गये कर को आधार माना जा सकता है।
3. यदि किसी नगरपालिका के रिकार्ड में पात्रता हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी संदर्भ के तहत स्वामी एवं मकान की प्रविष्टि अंकित हो तो उसे भी ग्राह्य किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पट्टे दिये जा सकते हैं।

शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

उप शासन सचिव